निविदा फार्म

कार्यालय जिला पंचायत, दमदमा, उज्जैन

मूल्य रूपये 2000/-

(प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 दिनांक 15.12.2023 से 26.12.2023 तक)

कार्य क्र.02 –विद्युत साज–सज्जा व्यवस्था

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, उज्जैन

विषय :– प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 हेतु विद्युत साज–सज्जा व्यवस्था कार्य संबंधी भाव प्रदाय विषयक।
सन्दर्भ :– आपकी कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक .... ।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके कार्यालय की समस्त शर्तो को मान्य करते हुए विद्युत साज–सज्जा व्यवस्था हेतु प्रति वर्षानुसार मेरी एक मुश्त दर पूरे मेला अवधि हेतु निम्नानुसार हैः–

क्र	कार्य का विवरण/सामग्री का विवरण	एक मुश्त दर (समस्त टेक्स सहित)
01	पेरेलल बल्ब (20बल्ब 40 वाट के, की सीरिज)	
02	हेलोजन/ LED	
03	हायमास्ट/ LED	
04	फ्लड लाइट 400 वाट	
05	फोकस 200 वाट	
06	टयूब लाईट 40 वाट सफेद ग्रीन बेंगनी	
07	टोकनी लेम्प	
08	कलर लेम्प 5वाट	
09	कलर लेम्प 15 वाट	
10	निवार पट्टी बल्ब मीनीचर बल्ब 180 बल्ब मीनीचर बल्ब 360 बल्ब	
11	बल्ब 40 वाट 100 वाट 200 वाट	
12	मीनीचर लाइट 6.2 वाट	
13	स्पाट लाइट	
14	सेटल लाइट कलर	
15	रनिंगलेम्प सीरिज 5 वाट (बल्ब की संख्या अंकित करे––––) 15 वाट (बल्ब की संख्या अंकित करे––––)	
16	थ्री फेस लाइन	
17	एक(सिंगल) फेस लाइन	
18	पावर पाइंट 15 एम्पीयर	
19	जनरेटर मय डीजल एवं आटोमेटिक चेंजर 7.50 के.वी. 10.00 के.वी. 62.00 के.वी.	
20	माईकसेड 03 नग	

संलग्नः– 01. धरोहर राशि जमा रसीद की छायाप्रति ।
02. ''ए''/''बी''श्रेणी लायसेंस की छायाप्रति ।
03. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (नगर निगम द्वारा) पी.डब्ल्यू.डी./एमपीईबी
04. दर प्रत्रक में दर भर कर स्केन कापी का पी.डी.एफ बनाकर ऑनलाई वित्तीय लिफाफे में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
05. शर्ते

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम––––––––––––––––––––

पता––––––––––––––––––––

कार्य क्रमांक 02–विद्युत साज–सज्जा कार्य, कार्यालयीन शर्तो का पालन करना अनिवार्य है :–

01. निविदा अंर्तगत स्वीकृत दरे सम्पूर्ण मेला अवधी के लिये प्रभावशील रहेगी।
02. निविदा अंर्तगत धरोवर राशि रूपये 10,000 (ईएमडी) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना होगा। फार्म का पंजीयन पेनकार्ड, टिन/GST नम्बर, कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र एवं आयकर विभाग में दाखिल विगत 3 वर्षो के रिर्टन/आयकर अभिलेख एवं फर्म/संस्था विगत 3 वर्षो का औसत 10 लाख टर्न ओव्हर का प्रमाण पत्र (सी.ए. द्वारा) प्रमाणित।
03. निर्धारित अवधि/समय पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार्य नही की जावेगी।
04. विद्युत साज–सज्जा व्यवस्था कार्य हेतु रूपये 20,000/– (अक्षरी रूपये बीस हजार मात्र) धरोहर राशि एफ.डी.आर. (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन) के पक्ष मे जमा कराना होगी।
05. निविदा फार्म के साथ प्राप्त निविदा फार्म की जमा राशि की रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही व्यक्तिगत/संस्था संबंधित कार्य के लिये ठेकेदारी हेतु मान्य विभाग से पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करना होगी।
06. निविदा लिफाफे पर ''**विद्युत साज–सज्जा व्यवस्था कार्य, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 हेतु निविदा**'' लिखना आवश्यक है।
07. कार्यादेश अनुसार मेला आरंभ के पूर्व दिनांक 12/12/23 को दोप. 01.00 बजे तक कार्य पूर्ण करना होगा।
08. संपूर्ण मेला अवधि मे पूरे समय कार्य एवं व्यवस्था मे रखरखाव हेतु पर्याप्त (कम से कम 04 व्यक्ति) हर समय उपस्थित रखना होगें।
09. यदि मेला अवधि मे वृद्वि होती है तो पूरी मेला अवधि हेतु स्वीकृत दर को आधार मानकर प्रति दिन के मान से अतिरिक्त अवधि का भुगतान किया जावेगा।
10. कार्य का सत्यापन कार्यालय द्वारा गठित समिति से करवाने के उपरांत ही देयक का भुगतान किया जावेगा तथा भुगतान की जाने वाली राशि मे से शासन नियमानुसार किये जाने वाली कटोत्रा राशि जैसे इनकम टैक्स आदि का कटौत्रा कर भुगतान योग्य राशि का भुगतान किया जावेगा। फर्म का पान (PAN) नंबर की छायाप्रति संलग्न करें।
11. देयक राशि मे किसी भी प्रकार की सर्विस चार्ज/टैक्स आदि मान्य नही होगा। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सर्विस टैक्स या अन्य टैक्स निविदाकर्ता द्वारा जमा कराये जाने के उपरांत देंयक राशि का भुगतान किया जावेगा।
12. सेन्ट्रल एक्साइज विभाग अथवा वाणिज्यकर विभाग मे सर्विस टैक्स का पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करे कार्यालय द्वारा कार्य हेंतु किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
13. कार्य व्यवस्था मे लगने वाली समस्त सामग्री की टूट–फूट, गुम होने आदि से होने वाली क्षति की जवाबदारी स्वयं निविदाकर्ता की होगी। सामग्री की सुरक्षा स्वयं निविदाकर्ता को करना होगी ।
14. निविदा स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार एवं अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला पंचायत उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।
15. निविदा स्वीकृती के तत्काल पश्चात् दो दिवस मे समिति द्वारा निर्धारित शर्तो अनुसार अनुबंध का निष्पादन निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा।
16. विद्युत साज–सज्जा व्यवस्था हेतु ''ए'' एवं ''बी'' श्रेणी प्रमाण–पत्र धारिता कान्ट्रेक्टर होना आवष्यक है। ''ए'' एवं ''बी'' श्रेणी पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति (म.प्र.विद्युतमंडल) संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
17. विद्युत साज–सज्जा व्यवस्था अंतर्गत वायरिंग कटी–पिटी ना होकर व्यवस्थित होना आवश्यक है। विद्युत व्यवस्था हेतु एम.पी.ई.बी. द्वारा स्थापित मीटर तक थ्री फेस/सिंगल फेस लाइन नवीन होना चाहिये तथा टेस्ट रिर्पोट एवं एम.पी.ई.बी. द्वारा निर्धारित माप दण्डो के अनुसार विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से की जाना होगी। प्रयुक्त सामग्री उच्च क्वालिटी की होना चाहिये।
18. विद्युत आपूर्ति नही होने की दशा मे जनरेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति तत्काल सुव्यवस्थित करना होगी, विलंब की स्थिति मे होने वाले नुकसान पेटे आपकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
19. कार्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन एवं मेला अवधि मे समक्ष मे दिये गये निर्देशानुसार कार्य व्यवस्थित नही होने से होने वाली क्षति जैसे आग लगना,मीटर जलना,आदि की समस्त जवाबदारी विद्युत साज–सज्जा व्यवस्था करने निविदाकर्ता ठेकेदार की होगी जिसकी क्षतिपूर्ति की समस्त जवाबदारी निविदाकर्ता स्वयं की होगी।
20. मेला परिसर मे स्थापित जनरेटर 62 के.वी., आटोमेटिक चेंज ओवर मय डीजल के तैयार रखना होगी तथा पर्याप्त मात्रा मे स्पेयर सामग्री मेला स्थल पर रखना आवश्यक होगा जिससे खराब होने पर तुरंत बदला जा सके।
21. विद्युत साज–सज्जा व्यवस्था आकर्षक एवं सुव्यवस्थित होना आवश्यक है।
22. विद्युत व्यवस्था प्रतिदिन सायं 5.30 बजे चालू करना होगी।
23. कार्य सम्पादन एवं रखरखाव मे प्रयुक्त श्रमिको की किसी दुर्घटना व श्रम कानून के पालन की जिम्मेदारी निविदाकर्ताकी होगी।
24. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे न्यायालयीन क्षैत्र उज्जैन रहेगा।
25. मेले स्थल पर अन्य कार्य की व्यवस्था की जाती है तो उस कार्य पर लगने वाली लाईन व लाईट व्यवस्था करनी होगी जिसका पृथक से कोई भुगतान नही किया जावेगा।
26. समिति के सत्यापन उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जावेगा।
27. ओपन स्टॉलो पर लाईट लगाना शामिल होगा जिसका पृथक से कोई भुगतान नही किया जावेगा।
28. सामग्रियो की दरे जीएसटी सहित प्रस्तुत करना होगी। जीएसटी पृथक से देय नही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, उज्जैन

उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 से 28 मुझे मान्य है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :–

निविदाकर्ता का नाम एवं पता :–

मोबाईल नम्बर :–